फैक्स/ईमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्याः38/2019 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 5, 2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय– पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम–2019 दिनांक 01.09.2019 से प्रभावी किया गया है।

2– मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम–2019 की धारा 210–बी में निम्न व्यवस्था की गयी है–

210B. Any authority that is empowered to enforce the provisions of this Act shall, if such authority commits an offence under this Act, shall be liable for twice the penalty corresponding to that offence under this Act.

3– अर्थात 'कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के प्राविधानों को प्रवर्तन करने हेतु अधिकृत है, यदि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जाता है तो वह इस अधिनियम में उस अपराध के लिये निर्धारित दण्ड के दोगुना दण्ड से दण्डनीय होगा।'

3– अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण को मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम–2019 की धारा 210–बी में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें साथ ही साथ पुलिस वाहनों अथवा अपने व्यक्तिगत वाहनों को चलाते समय यातायात नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने हेतु भी ब्रीफ करना सुनिश्चित करें।

5.9.19

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

(2) महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner